HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015,
और शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या–210/211, दूसरी मंजिल, डैशमेश प्लाजा, सेक्टर–20बी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001। **संपर्क विवरणः** जेडआरएम 9873925255
आरएलएम : 9990338759 **आरआरएमः** 9999735552 **ईमेलः** Auction@hindujahousingfinance.com

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री की सूचना
सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित
एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित आरक्षित संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, **"जैसा है जहां है", "जैसा है वैसा ही"** और **"जो कुछ भी उपलब्ध है"** के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:
1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर होगी। **2.** खरीदार को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ, प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। स्वीकृति मिलने पर आवश्यक 25% जमा राशि में से इसे समायोजित कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। **3.** एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा। **4.** बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। **5.** निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान न करने पर, प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः बेचा जा सकता है। **6.** यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **7.** 50,00,000/– रुपये से अधिक की बोलियों के लिए, सफल खरीदार को आयकर अधिनियम की धारा 194–ए के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा। **8.** संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जाती है, चाहे वे एको ज्ञात हों या अज्ञात एचएचएफएल किसी भी तृतीय–पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देय राशियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। **9.** खरीदार को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। **10.** एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **11.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से **"ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड"** से ही आयोजित की जाएगी। **12.** बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होंगे। **13.** ई–नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्तिः श्री मिथलेश, मोबाइल नंबरः 7080804466, ईमेलः **Mithalesh.kumar@c1india.conn, tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com** और सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबरः +91–7291981124/25/26, सहायता ईमेलः **Support@bankeauction.com** से संपर्क कर सकते हैं। **14.** ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को **https/www.bankeauctions.com** पर अपना नाम समय से पहले पंजीकृत कराना होगा और उन्हें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल दें। **15.** ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करना होगा। यह राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा **"हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी। **16.** इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 09/07/2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। **17.** सफल नीलामी क्रेता बंधक संपत्ति से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करेगा। **18.** नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। **19.** बिक्री का संचालन सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूची

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित परिसंपत्ति): भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खेवट नं.0209, खतौनी नं. 267, मु. नं.20, किला नं.15/1(4–0) किट्ठा, प्लॉट क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, जो वाका मोजा नगला एन्क्लेव, भाग नं.2, सुभाष चौक, लालू एसटीडी, सेक्टर–22, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। सीमाबद्धः पूर्वः अन्य संपत्ति पश्चिमः मकान नं.1040 का भाग उत्तरः 15 फीट सड़क दक्षिणः अन्य संपत्ति	**बकाया राशिः** रु. 13,04,024/– (रुपये तेरह लाख चार हजार चौबीस मात्र) दिनांक 19/07/2024 तक **आरक्षित मूल्यः** रु. 5,00,000/– (रुपये पाँच लाख मात्र) **ईएमडीः रू. 50,000/–**
ऋण संख्याः HR/NCH/GURH/A000000798 **एवं** HR/NCH/GURH/A000001123 **उधारकर्ताओं के नामः** 1. विजय कुमार 2. प्रेम वती	**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः** 09/07/2026 शाम 1700 बजे तक। **ई-नीलामी की तिथि/समयः** 10/07/2026, 1100 बजे से 1300 बजे तक। **बोली वृद्धि राशिः** रू 10,000/–

स्थानः हरियाणा दिनांकः 23.06.2026 — **हस्ता/– अधिकृत अधिकारी– हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क पताः ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा - 201301
पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
फोनः 011 49267000, **टोल फ्री नं.:** 1800 212 8800,
ई-मेलः customer.care@herohfl.com | **वेबसाइटः** www.herohousingfinance.com
CIN: U65192DL2016PLC30148

मांग सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित सूचना।

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (HHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथियों के अनुसार सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं जारी कर चुके हैं, जिनके माध्यम से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/जमानतदार (व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से "दायित्वधारक" कहलाएंगे)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने हेतु कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रेषित की गई हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि यदि चाहें, तो किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से उनकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, संबंधित दायित्वधारकों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर, अपने-अपने नामों के समक्ष नीचे दर्शाई गई राशि HHFL को अदा करें। साथ ही, नीचे स्तंभ (d) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक देय आगे का ब्याज, ऋण अनुबंध तथा संबंधित अन्य दस्तावेजों/लेखों के अनुसार भी अदा करें। ऋण की विधिवत पुनर्भुगतान की सुरक्षा हेतु, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियां संबंधित दायित्वधारकों द्वारा HHFL के पक्ष में बंधक रखी गई हैं।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	नीचे दी गई तिथि के अनुसार कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक
HHFGAZLAP 25000061086	निजामुद्दीन, शब्बो	रु. 5,50,646/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	18-06-2026 / 04-06-2026
सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण: ग्राम कर्तौढा, परगना दादरी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित आवासीय मकान/प्लॉट, जो पुरानी आबादी के खसरा संख्या 1308 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 59 वर्ग गज अर्थात 49.33 वर्ग मीटर है (जिसमें 25.08 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल तथा 24.25 वर्ग मीटर खुला/रिक्त क्षेत्रफल शामिल है); **जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः** शकीत का मकान, **पश्चिमः** 11 फीट चौड़ा रास्ता, **उत्तरः** रईसुद्दीन का मकान, **दक्षिणः** नफीस का मकान।		
HHFMODLAP 24000053672	नितिन कुमार, गीता पत्नी भरत सिंह, भरत शर्मा	रु. 5,36,463/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	16-06-2026 / 04-06-2026
सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण: खसरा संख्या 29 में स्थित दो मंजिला मकान, जिसका क्षेत्रफल 112 वर्ग गज अर्थात 93.65 वर्ग मीटर है, जो **आबादी ग्राम बिचपड़ी, तहसील एवं जिला बागपत में स्थित है; जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः** गासीराम की कृषि भूमि, **पश्चिमः** 20 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तरः** राजकुमार का मकान, **दक्षिणः** सीताराम का मकान।		
HHFGAZHOU 25000061042	रिज़वान, अनवरी	रु. 11,12,906/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	16-06-2026 / 04-06-2026
सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण: आवासीय फ्लैट संख्या G-1, भूतल, सामने दाहिनी ओर स्थित एल.आई.जी. फ्लैट (भूतल, छत के अधिकारों के बिना), जिसका सुपर कवर क्षेत्रफल 50 वर्ग गज अर्थात 41.80 वर्ग मीटर है फ्लैट संख्या A-437, ब्लॉक-A पर निर्मित, जो **आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन में स्थित, एक्सटेंशन-1, ग्राम पसौंडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, फ्लैट संख्या G-1 की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः** 40 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** सामान्य मार्ग एवं फ्लैट संख्या G-2, **उत्तरः** फ्लैट संख्या 438, **दक्षिणः** पार्किंग स्थल तथा उसके आगे फ्लैट संख्या 436		
HHFNOIHOU 25000061278	देवेंद्र चौहान, रिंकी देवी	रु. 16,31,041/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	19-06-2026 / 04-06-2026
सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण: खसरा संख्या 669 के अंतर्गत स्थित भूमि का प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग गज अर्थात 53.41 वर्ग मीटर है, जो **मोहल्ला ठाकुराना, कस्बा दादरी, परगना एवं तहसील दादरी में स्थित, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः** 8 फीट चौड़ा रास्ता, **पश्चिमः** सतवीर का मकान, **उत्तरः** 12 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिणः** अजीत का मकान।		
HHFLAXLAP 24000060017	अंकित तोमर, महेंद्री	रु. 16,81,708/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	19-06-2026 / 04-06-2026
सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरण: खसरा संख्या 333 के अंतर्गत स्थित आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 340 वर्ग गज अर्थात 284.28 वर्ग मीटर है, जो **आबादी ग्राम खेला में स्थित, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः** श्रीपाल का मकान, **पश्चिमः** 15 फीट चौड़ा रास्ता/सड़क, **उत्तरः** 10 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिणः** देवेंद्र का मकान।		

* संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित दर के अनुसार आगे का ब्याज, अतिरिक्त ब्याज तथा भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे। यदि संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि उपर्युक्तानुसार HHFL को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो HHFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अंतर्गत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले समस्त व्यय एवं परिणामों का जोखिम संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधियों का होगा।

संबंधित दायित्वधारकों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह निषिद्ध किया जाता है कि वे HHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विक्रय, पट्टा अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण न करें। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला अथवा उल्लंघन में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अनुसार कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांक : 23-06-2026 — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली एनसीआर — **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए**

पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

PEGASUS

55–56, पांचवीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई –400021
दूरभाषः –022–61884700 ईमेलः sys@pegasus-arc.com,
URL: www.pegasus-arc.com

ई–नीलामी द्वारा बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित अचल संपत्तियां जोकि सुरक्षित लेनदार यानी पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित हैं, जो पेगासस 2024 ट्रस्ट 1 (पेगासस एआरसी) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, जिसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("एचडीएफसी बैंक") द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतियों के ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित उधारकर्ता के ऋण सौंपे गए हैं, सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 30.06.2025 के असाइनमेंट समझौते के तहत, सरफेसी अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर इसके सभी बकाया की वसूल हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जा रहा है।

नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों, जो अचल संपत्ति हैं, का भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 18.11.2017 को सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत लिया गया था।

नीलामी का विवरण इस प्रकार हैः

उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का नामः	1. मेसर्स पाराशर ट्रेडिंग कंपनी (उधारकर्ता) 2. राजेश कुमार शर्मा (गारंटर) 3. सुनीता शर्मा (गारंटर/बंधककर्ता) 4. राजन शर्मा (गारंटर)
बकाया राशि जिसके लिए सुरक्षित संपत्तियाँ बेची जा रही हैं:	रु. 3,00,30,114.76 (रु. तीन करोड़ तीस हजार एक सौ चौदह और पैसे छिहत्तर मात्र) दिनांक 28.05.2026 तक प्लस और उस पर 29.05.2026 से संविदात्मक दर पर ब्याज भुगतान और वसूली की तारीख तक लागत, शुल्क और व्यय इत्यादि
बेची जा रही सुरक्षित अचल संपत्ति का विवरणः	मकान नं. टी–284, प्लॉट नं. 2, खसरा नंबर 214 में से, इंद्र कॉलोनी, गांव–नरेला, दिल्ली – 110040, क्षेत्रफल 162.5 वर्ग गज
आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सुरक्षित संपत्ति नहीं बेची जाएगी (रुपये में):	रु. 54,56,000/– (रु. चौवन लाख छप्पन हजार मात्र)
जमा बयाना राशि (ईएमडी):	रु. 5,45,600/– (रु. पाँच लाख पैंतालीस हजार छह सौ मात्र)
संपत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए दावे, यदि कोई हों, और सुरक्षित लेनदार को ज्ञात कोई अन्य बकाया राशि और मूल्य	ज्ञात नहीं
CERSAI ID:	प्रतिभूति हित आईडी – 400097882237 संपत्ति आईडी – 200100261319
संपत्तियों का निरीक्षणः	08–07–2026 को पूर्वा. 11:30 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक
संपर्क व्यक्ति और फोन नंबरः	1. श्री रमेश गिरि (अधिकृत अधिकारी) मो. नं. 9643468804 ramesh@pegasus-arc.com 2. श्री निशांत श्रीवास्तव मो. 9151386532 nishant@pegasus-arc.com
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः	10–07–2026 शाम 05:00 बजे तक
बोली खोलने का समय और स्थानः	वेबसाइट (https://sarfaesi.auction-tiger.net) के माध्यम से ई–नीलामी/बोली 14.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से अपरा. 01:00 बजे तक

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उपर्युक्त उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों को तीस (30) दिनों का नोटिस भी है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html या वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें या सेवा प्रदाता ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर बिडर सपोर्ट नंबर: मोबाइल 079–68136805/68136837, श्री राम प्रसाद मोबाइल +91 8000023297, ईमेल: ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net पर किसी भी बोली को प्रस्तुत करने से पहले संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 22.06.2026 — **पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
पेगासस 2024 ट्रस्ट 1

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, प्लॉट–15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरुग्राम, –122003

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना, जिसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) के नियम 8(6) के साथ पठित।

एतद्द्वारा आम जनता को सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी(यों) या प्रतिनिधि(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियाँ, जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे आगे "सुरक्षित ऋणदाता" कहा जाएगा) के पक्ष में बंधक/प्रभारित हैं, तथा जिनका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6वीं मंजिल, प्लॉट संख्या 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 में स्थित है, ले लिया गया है, उन्हें "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथियों पर बेचा जाएगा, ताकि उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली की जा सके। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित स्थान पर की जाएगी।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या और उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरणः	कब्जे की तिथि और प्रकार	आरक्षित मूल्य
HL15CHLONS00000509 5032/AP&10227558 श्रीमती भवरी देवी पत्नी विष्णा राम एवं श्री विष्णु राम पुत्र देवा राम एवं श्री भरत कुमार पुत्र विष्णु राम।	14–जनवरी–2025 और रूपें 20,59,621/– (रुपये बीस लाख उनसठ हजार छह सौ इक्कीस मात्र) **बोली में वृद्धि राशि** 10000/–	सभी टुकड़े और संपत्ति का हिस्सा जो विक्रय विलेख दिनांक 29–08–2023 के अनुसार स्थित है, खसरा नंबर 25/2, सिंधारी चरनान, तहसील सिंधारी, जिला बालोतरा, राजस्थान 344033, बालोतरा। सीमाएँ:– पूर्व– रास्ता, पश्चिम– धन्ना राम का प्लॉट, उत्तर– गणपत लाल सोनी का प्लॉट, उत्तर– दक्षिण– रास्ता।	**भौतिक कब्जा 18–06–2026 पर** **बकाया राशि** 17–जून–2026 तक रूपये 23,31,888.39/– (रुपये तेईस लाख इकतीस हजार आठ सौ अठासी और उनचालीस पैसे मात्र)	रु.18,62,000/– (रुपये अठारह लाख बासठ हजार मात्र) **बयाना राशि (ईएमडी)** 1,86,200/– (रुपये एक लाख छियासी हजार दो सौ मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय :	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि और समय
(निरीक्षण समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) 22–जुलाई–2026	23–जुलाई–2026	24–जुलाई–2026

ईएमडी जमा करने/नीलामी का स्थानः इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑफिस नंबर 102, पहली मंजिल, ओमेगा टॉवर, रे कॉलोनी, सीएमएचओ ऑफिस के सामने, जिला बाड़मेर, राजस्थान पिन 344001।
अधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर – श्री अगम छप्पर (+91 7849845989)।
भुगतान का माध्यम :– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा किए जाएंगे।
विवरण और प्रश्नों के लिए, कृपया संलग्न नीलामी बिक्री सूचना देखें या हमारी वेबसाइट https://www.indiashelter.in देखें या अधिकृत अधिकारी, अधिकारी श्री अगम छप्पर (+.91 7849845989) से संपर्क करें।
दिनांकः 23–जून–2026 स्थानः राजस्थान

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, गेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या **ML01EDL00000090199** **1. अजयपाल भाटी (आवेदक)** ग्राम बिसबाना बबैया बिस्वनाह, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश – 203205. अन्य पता ; सी/ओ 'अजयपाल किराना स्टोर' बिसबाना बबैया, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203205 **2. महाकाश (सह–आवेदक),** ग्राम बिसबाना बबैया बिस्वनाह, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश–203205. अन्य पताः 113, विश्वाना, बिस्वनाह, बिसवाना, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203205 अन्य पता ; प्लॉट नंबर खाता 82, गांव बुलंदशहर सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203205	19-11-2025	रु. 17,74,025/- 18-11-2025 तक	आवासीय प्लॉट गाटा नंबर 82, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मीटर गांव बिस्वाना, परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में स्थित है,चौहद्दी निम्नानुसार – पूरबः– जितेंद्र का खेत, पश्चिम – ब्रह्मपाल का खेत उत्तर – ब्रह्मपाल का खेत दक्षिण – 16 फीट चौड़ी रोड	20–06–2026 सांकेतिक

तिथि : 20–06–2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश — **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शुभम्

कार्पोरेट कार्यालयः 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोनः 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था।

ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्